Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 15-2026] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 14 अप्रैल, 2026
(24 चैत्र, 1948 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं	
भाग II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	1. अधिसूचना संख्या का०आ० 11/के०अ० 16/1927/धा० 29/2026, दिनांक 10 अप्रैल, 2026– अनुसूची में वर्णित जिला भिवानी, तहसील सिवानी, हदबस्त नं0 128 की भूमि को संरक्षित वन के रूप में घोषित करने बारे।	57—58
	2. अधिसूचना संख्या का०आ० 12/के०अ० 16/1927/धा० 30/2026, दिनांक 10 अप्रैल, 2026– अनुसूची में वर्णित जिला भिवानी, तहसील सिवानी, हदबस्त नं0 128 की भूमि को संरक्षित वन के रूप में घोषित भूमि पर खड़े तथा उगाए गए वृक्षों आदि को आरक्षित घोषित करने बारे।	59—60
	3. अधिसूचना संख्या का०आ० 13/के०अ० 16/1927/धा० 32/2026, दिनांक 10 अप्रैल, 2026– अनुसूची में वर्णित जिला भिवानी, तहसील सिवानी, हदबस्त नं0 128 की भूमि पर लागू होने वाले नियम बनाने बारे।	61—62
	4. अधिसूचना संख्या का०आ० 14/के०अ० 67/1957/धा0 30ख/2026, दिनांक 10 अप्रैल, 2026– जिला एवं सत्र न्यायाधीशों और सभी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को विशेष न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने बारे।	63—64
भाग IV	**शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं	

भाग–III

हरियाणा सरकार

पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग

अधिसूचना

दिनांक 10 अप्रैल, 2026

संख्या का०आ० 11/के०अ० 16/1927/धा० 29/2026.– भारतीय वन अधिनियम, 1927(1927 का केन्द्रीय अधिनियम 16) की धारा 29 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि को संरक्षित वन के रूप में घोषित करते हैं, जिस पर उक्त अधिनियम के अध्याय IV के उपबन्ध लागू होंगे, अर्थात्:–

अनुसूची

जिला	तहसील	गांव व हदबस्त नं0	क्षेत्र का विवरण		क्षेत्रफल एकड़ों में
			आयत संख्या	किला नं0	
भिवानी	सिवानी	सिवानी हदबस्त नं0 128	40	23/2 24/1/1 571 574 575	02 एकड़, 07 कनाल, 15 मरले
			24	22/1/1	
			10	18/2 23/1	
			40	19/1	
			07	18/2	

सुधीर राजपाल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE DEPARTMENT

Notification

The 10th April, 2026

No. S.O. 11/C.A. 16/1927/S. 29/2026.— In exercise of the powers conferred under sub-section (1) read with sub-section (2) of section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Central Act 16 of 1927), the Governor of Haryana hereby declares the land described in the Schedule given below to be protected forests, to which the provisions of Chapter IV of the said Act shall be applicable, namely :-

SCHEDULE

Serial Number	**District**	**Tehsil**	**Village with Hadbast No.**	**Description of field**		**Total Area in Acres**
				Khasra / Rectangle No.	**Killa No.**	
1	Bhiwani	Siwani	Siwani Hadbast No. 128	40	23/2 24/1/1 571 574 575	02 Acre 07 Kanal 15 Marla
				24	22/1/1	
				10	18/2 23/1	
				40	19/1	
				07	18/2	

SUDHIR RAJPAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Environment, Forests and Wildlife Department.

12518—C.S.—H.G.P., Pkl.